कौटिल्य एकेडमी

www.kautilyaacademy.com IAS • IPS • MPPSC • CJ-II

CURRENT AFFAIRS

PRELIMS+MAINS QUICK REVISION

1. मेरी माटी मेरा देश अभियान
2. बटागाइका क्रेटर
3. जीरो एफआईआर
4. प्रोनाब सेन समिति

मेरी माटी मेरा देश अभियान

- केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में **'मेरी माटी मेरा देश'** अभियान की शुरुआत करने जा रही है।
- इस कार्यक्रम के तहत देशभर में गांव से लेकर शहरों तक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में लाखों गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों, **शहीदों और नायकों के नाम की पट्टिकाएं** लगाई जाएंगी और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। ये **कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त तक** चलेगा।
- देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई मिट्टी का उपयोग दिल्ली में कर्तव्य पथ के किनारे अमृत वाटिका उद्यान को विकसित करने के लिये किया जाएगा।
- पंचायत और गाँव से लेकर राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।
- सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों के नाम के साथ **शिलाफलकम (स्मारक पट्टिका)** स्थापित की जाएगी।
- नागरिकों द्वारा देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते प्रतिज्ञा ली जाएगी।
- **'वसुधा वनधन'** के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत या गाँव में **देशी प्रजातियों के 75 पौधे** लगाए जाएंगे।

➔ स्वतंत्रता सेनानियों और मृत स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित करने के लिये **'वीरों का वंदन'** का आयोजन किया जाएगा।

बटागाइका क्रेटर

- **जलवायु परिवर्तन** का असर अब पूरी दुनिया में नजर आने लगा है। भारत से लेकर यूरोप तक इससे जूझ रहे हैं। वहीं अब रूस के एक हिस्से में बना पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर यानी स्थायी रूप से जमा हुआ गड्ढा भी पिघलने लगा है। इस नए घटनाक्रम ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
- एक ड्रोन फुटेज में यह नजर आया है कि रूस में स्थित **बटागाइका क्रेटर** अब पिघलने लगा है। देश के पूर्वी हिस्से में स्थित यह दरअसल एक सुदूर पूर्व में एक किलोमीटर लंबी जगह और **दुनिया का सबसे बड़ा पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर** है।

- इसके कारण वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि यह बताता है कि उत्तर और **उत्तर पूर्वी शहरों** और **कस्बों** में जलवायु परिवर्तन के कारण खतरा किस कदर बढ़ रहा है।
- बटागाइका क्रेटर के विस्तार को पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण शुरू हुई एक घटना है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, एक बार जमी हुई ज़मीन क्षरण की प्रक्रिया से गुजरती है, जिससे इस विशाल गड्ढे का निर्माण होता है।
- पर्माफ्रॉस्ट उस जमीन या मिट्टी को संदर्भित करता है जो लगातार दो या अधिक वर्षों तक हिमांक बिंदु (0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट) पर या उससे नीचे जमी रहती है।
- यह आमतौर पर ध्रुवों के पास उच्च अक्षांश क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे आर्कटिक और उपआर्कटिक क्षेत्र।
- **रूस का लगभग 65% भूभाग** लंबे समय से जमे हुए टुंड्रा से ढका हुआ है, जो तेजी से गर्मी का अनुभव कर रहा है। इन क्षेत्रों में पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से मिट्टी में जमा ग्रीनहाउस गैसें निकल रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है।
- **पर्माफ्रॉस्ट** के पिघलने से उत्तरी और उत्तरपूर्वी रूस पर गंभीर परिणाम हुए हैं, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है। सड़कों का टूटना, घरों का बंटवारा और पाइपलाइनों का बाधित होना, पीछे हटने वाले पर्माफ्रॉस्ट के कारण होने वाले विनाश के कुछ उदाहरण हैं।

- **रूस वैश्विक औसत से 2.5 गुना अधिक तापमान वृद्धि** का अनुभव कर रहा है, जो इसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बनाता है।
- इस तीव्र गर्मी के कारण पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने और उसके बाद क्रेटर के विस्तार में तेजी आई है।

जीरो एफआईआर

- हाल ही में दो मणिपुरी महिलाओं को राज्य के थौबल जिले में आपत्तिजनक अवस्था में घुमाया गया उसके बाद **Zero FIR** की चर्चा तेज हो गई है।
- जब एक पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किए गए कथित अपराध के बारे में शिकायत मिलती है, तो वह FIR दर्ज करता है और फिर इसे आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर देता है। इसे **Zero FIR** कहा जाता है।
- इसमें कोई नियमित FIR नंबर नहीं दिया जाता है। **Zero FIR** मिलने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन नई FIR दर्ज करता है और जांच शुरू करता है।
- पुडुचेरी सरकार द्वारा जारी वर्ष 2020 के परिपत्र के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने के आरोपी अपराधियों के लिए तेजी से सुनवाई, बढ़ी हुई सजा प्रदान करने तथा आपराधिक कानून में संशोधन का सुझाव देने के लिए गठित **'न्यायमूर्ति वर्मा समिति'** की सिफारिशों के बाद Z **Zero FIR** का प्रावधान आया।
- समिति का गठन वर्ष 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के बाद किया गया था।
- परिपत्र के अनुसार,पीड़ित द्वारा किसी भी पुलिस स्टेशन में **Zero FIR** दर्ज कराई जा सकती है, चाहे उनका निवास स्थान या अपराध घटित होने का स्थान कुछ भी हो।

➔ इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित को पुलिस शिकायत दर्ज कराने के लिए दर-दर भटकना न पड़े। यह प्रावधान पीड़ित को त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए है ताकि FIR दर्ज होने के बाद समय पर कार्यवाही की जा सके।

➔ **Zero FIR पर सुप्रीम कोर्ट की राय-**

- उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2008 में एक बच्ची के लापता होने की FIR महीने भर बाद दर्ज की थी।
- पूर्व जस्टिस आर.एस. सोढ़ी के अनुसार, ललिता कुमारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि भले ही अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, लेकिन पुलिस जूरीस्डिक्शेन के आधार पर FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है।
- पुलिस को हर हाल में पीड़ित व्यक्ति की FIR दर्ज करनी ही होगी। भले ही अपराध किसी भी थाना क्षेत्र में हुआ हो।
- यह एक प्रकार की Zero FIR होगी और उस शिकायत को संबंधित थाने में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद उस थाने में शिकायत मिलने के बाद जांच की कार्यवाही शुरू हो जाती है।

➔ **FIR क्या है-**

- FIR का फुल फार्म – First Information Report होता है।
- किसी घटना, दुर्घटना अथवा आपराधिक घटना की प्राथमिक सूचना को ही FIR कहा जाता है।

- FIR के तहत सीरियस क्राइम के संबंध में पुलिस **CRPC की धारा-154** के तहत मामला दर्ज करती है वहीं नॉन सीरियस क्राइम की बात करें तो पुलिस **CRPC की धारा-482** के तहत मामला दर्ज करती है।
- पुलिस स्टेसशन में घटना के ब्यौरे को लिखित रूप से दर्ज किया जाता है, जिसकी कॉपी शिकायतकर्ता को दी जाती है। FIR की यह कॉपी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है।

प्रोनाब सेन समिति

- भारत सरकार ने हाल ही में **राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ)** की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रोनाब सेन की अध्यक्षता में एक पैनल नियुक्त किया है।
- **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा उत्पन्न आधिकारिक डेटा पर सलाह देने के लिए सांख्यिकी पर एक नई स्थायी समिति (SCOS) का गठन किया है।
- यह पैनल आर्थिक आंकड़ों पर सलाह देने के लिए 2019 में गठित आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति (एससीईएस) की जगह लेगा।
- राष्ट्रीय स्तर का डेटा अनुसंधान, नीति निर्धारण और विकास योजना के लिए एक प्रमुख संसाधन हैं।
- मौजूदा साक्ष्यों के आलोक में डेटा को समझना और उसका विश्लेषण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)** और **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)** जैसे राष्ट्रीय सर्वेक्षणों द्वारा पुरानी सर्वेक्षण पद्धति के उपयोग ने व्यवस्थित रूप से भारत के विकास को कम करके आंका है।

➔ यह पुरातन पद्धति हाल के दिनों में वास्तविकता को पकड़ने में विफल रही है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले **30 वर्षों में अविश्वसनीय रूप** से गतिशील रही है।